छत्तीसगढ़ विधान सभा

जुलाई, 2012 सत्र

दैनिक कार्यसूची

सोमवार, दिनांक 16 जुलाई, 2012 (आषाढ 25,1934)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 (क्रमांक 54 सन् 1948) की धारा 69 की उपधारा (5) के पद (क) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के लेखों का वार्षिक विवरण वर्ष 2008-2009 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री रामविचार नेताम, उच्च शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 70 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर एवं सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर के मध्य परिसम्पत्तियों के बंटवारे संबंधी आदेश क्रमांक 1867/1466/09/38-2 दिनांक 19.5.2010 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री, कंपनी अधिनियम, 1956 (क्रमांक 1 सन् 1956) की धारा 619-ए की उपधारा (3) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008 एवं 2008-2009 पटल पर रखेंगे.

3. महामहिम राज्यपाल द्वारा लौटाये गये विधेयक की सूचना

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य, जिला रायपुर में डायवर्सन तथा नामांतरण के जटिल नियमों से जनता को परेशानी होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री देवजी भाई पटेल, राजकमल सिंघानिया, सदस्य, प्रदेश में विद्युत बिलिंग में अनियमितता किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

क्रमश:.....2

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री, छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 8 सन् 2012) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(2) श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 9 सन् 2012) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(3) श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री, छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 10 सन् 2012) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

6. महामहिम राज्यपाल द्वारा लौटाये गये विधेयक पर विचार का प्रस्ताव

श्री ननकीराम कंवर, सहकारिता मंत्री, महामहिम राज्यपाल द्वारा सभा को संदेश के साथ पुनर्विचार हेतु प्रेषित छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी विधेयक, 2006 (क्रमांक 9 सन् 2006) पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे.

7. वर्ष 2012-2013 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

निर्धारित समय 3 घंटे

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे:-

दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 1, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 39, 41, 44, 45, 47, 48, 55, 56, 57, 58, 64, 65, 66, 67, 68, 75, 76, 79, 80, 81 एवं 82 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर **सत्रह सौ इकतालीस करोड़, बयालीस लाख, सैंतालीस हजार, सात सौ साठ रुपये** की अनुपूरक राशि दी जाये.

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2012 (क्रमांक 11 सन् 2012) का पुर:स्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

रायपुर
दिनांक 15 जुलाई, 2012

देवेन्द्र वर्मा
सचिव.